प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्सोलेन्स पर है। अत: पत्रावली आधिक कार्यवाही हेतु दिनांक 15/10/25 को पेश हो

15/10/25 पत्रावली पेश हुई। उभय वकील प्रतिवादी काउन्टर क्लेम सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थ. काउन्टर क्लेम दिनांक 27/10/25 को पेश हो।

27/10/25 पत्रावली आज वास्ते आदेश वाद पत्र काउन्टर क्लेम पेश हुई। वादी द्वारा वाद पत्र ख0सं0 606 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा,ख0सं0 607 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा एवं ख0सं0 608 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा(3.4641 हैक्टे.) वाके ग्राम ठीकरियाकला बाबत पेश किया गया था, जो कि दिनांक 02.09.2015 को वादीगण की अनुपस्थिति पर अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज किया जाकर , प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के निर्णय हेतु जैरकार है। प्रतिवादी सं. 1,2 व 5 ने काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी में से पश्चिम की ओर की 10 बीघा भूमि जो कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को अक्षय तृतीया संवत 2056 में भरण पोषण हेतु काश्त बाबत दी गई थी जिसे वादीगण द्वारा अपना अधिकार मानते हुए प्रतिवादीगण के स्वत्व को इंकार करने लग गये है। अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार की वाद वर्णित आराजी 10 बीघा पश्चिम ओर से बेदखल कर प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाया जावे।

बहस उभय पक्ष सूनी गई। वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी में से पश्चिम की ओर स्थित 10 बीघा भूमि पर से वादीगण का कब्जा हटाये जाने बाबत निवेदन किया गया ।

बहस उभयपक्ष वकील प्रतिवादी काउन्टर क्लेम पर मनन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर नकल जमाबन्दी 2002 अनुसार वाद वर्णित आराजी का खातेदार रतना वल्द किशना जाति मीणा अंकित है, नकल जमाबन्दी खाता सं0 92 संवत 2041–44 में खातेदार रामसुख, छोटया पि0 कजोड हि. 1/2 व गोपाल, ग्यारसा पि0 लक्ष्मण हि0 1/2 कोम मीणा दर्ज रेकार्ड है नकल जमाबन्दी खाता सं0 169 वाके ग्राम ठीकरियाकला संवत 2023–47 एवं नकल जमाबन्दी खाता सं0 303 वाके ग्राम ठीकरियाकला संवत् 2059–62 अनुसार खातेदार रामसुख, छोटया पि0 कजोड दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान नकल जमाबन्दी खाता सं0 447 वाके ग्राम ठीकरियाकलां संवत् 2076 के खातेदार कस्तूरचन्द पुत्र रामसुख हिस्सा 7/80, रेखा कुमारी पत्नि सत्यनारायण हिस्सा 33/80 एवं रामशंकर पुत्र छोटया हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन करने पर वाद में रेखा कुमारी को पक्षकार नही बनाया गया ना ही कोई वर्णन किया गया है। वादी अथवा प्रतिवादीगण द्वारा अपने वाद में वाद वर्णित आराजी किस आधार पर प्रतिवादीगण को कब दर्ज रेकार्ड हुई इस बाबत कोई स्पष्ट तथ्य अथवा दस्तावेज पेश नही किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में अंकित किया गया कि वाद वर्णित आराजी की पश्चिम ओर

Scanned with OKEN Scanner

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
	की 10 बीघा भूमि वादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है जिसे कब्जा मुक्त करवाया जा[वे] किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम में कहीं यह स्पष्ट अंकित नहीं किया कि किस-किस ख0सं0 पर वादीगण का कितना–कितना कब्जा कास्त है जिसे वादीगण से कब्जा मुक्त किया जावे। अतः बहस उभय पक्ष एवं पत्रावली के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी पर वर्तमान स्थिति एवं पूर्व स्थिति को किस आधार पर एवं कब रेकार्ड में परिवर्तन हुआ एवं क्यो हुआ, इस स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ रहे है साथ ही प्रकरण में मिस जोईन्डर ऑफ पार्टी का नुक्स होना भी प्रमाणित है। प्रतिवादी सं0 1,2 व 5 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में प्रतिवादीगण द्वारा किस खसरा नम्बर पर कब्जा है की स्थिति को स्पष्ट नहीं करने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादी सं0 1,2 व 5 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner